भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़-160030

मिसिल संख्या -: **9PBB457/2015-CHA** दिनांक : सोमवार, 15 फरवरी 2016

सेवा में ,

प्रधान सचिव (वन),
पंजाब सरकार,लधु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ।

विषय:- **Diversion of 2.1142 ha (1.530 ha in Patiala + 0.5842 ha in S.A.S Nagar) of forest land in Favour of Power Grid Corporation India Ltd. for construction of 400 K.v D/c Panchkula-Patiala transmission line under Northern Regional Strengthening Scheme NRSS-XXXII under Forest Division and Districts Patiala & S.A.S Nagar, Punjab**

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संम्बन्धित आपके पत्र संख्या FCA/1980/213-293/2015/4587 दिनांक 30.11.2015 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ. सी.) व नोडल ऑफिसर (एफ.सी.ए.), पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA/1980/213-293/2015/4957 दिनांक 05.02.2016 की ओर दिलाया जाता है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **2.1142** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है-:

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधें काटे जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की कुल संख्या 579 {पटियाला वन मण्डल में 488 (चार सौ अठासी केवल)} व एस ए एस नगर वन मण्डल में 91 (इक्यानवे केवल) व पौधों की संख्या 10 (दस केवल) से अधिक नहीं होगी |

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार पटियाला वन मण्डल के अन्तर्गत **G.B. Canal Tehsil Nabha, District Patiala,** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 17,95,754 (सत्रह लाख पिचानवे हजार सात सौ चव्वन) की राशि से 4.98 **ha** में व एस ए एस नगर वन मण्डल के अन्तर्गत **Bir Bakarpur, Tehsil Derabassi, District S.A.S. Nagar** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 6,69,543/-रूपये (छ: लाख उनहत्तर हजार पांच सौ तैंतालिस केवल) की राशि से 1.461 हैक्टयर वन क्षेत्र में कुल 6,441 पौधे लगाकर किया जायेगा।

iv. <u>प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।</u>

v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

vi. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 46.00 मीटर होगी |

vii. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी | परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा |

viii. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 5.5 मीटर होना चाहिए | कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा | संचरण लाइन के मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों का रोपण किया जायेगा |

ix. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

कृ०पृ०उ०

x. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xi. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |

xii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुब्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी |

xiii. यदि संचरण लाइन का बनाये जाने वाला हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ पर पर्याप्त निकासी पहले ही मौजूद है, वहां पर पेड़ नहीं काटे जायेंगे |

xiv. प्रयोक्ता एजेंसी कूड़े कर्कट का निष्पादन, राज्य वन विभाग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार पूर्व निश्चित स्थलों पर इस प्रकार से करेगी कि यह नीचे की तरफ ना गिरे |

xv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xvi. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xvii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xviii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी |

xix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xx. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |

xxi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |

xxii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी | प्रत्येक खम्बें पर क्रम संख्या, डी०जी०पी०एस०निर्देशांक तथा एक खम्बें से दूसरे खम्बें की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जायेगी |

xxiii. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xxiv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxv. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी |

xxvi. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

3. मत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। *राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी ।*

भवदीय,

हर्ष मित्र 15.2.16

(हर्ष मित्र)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला पटियाला व एस ए एस नगर, पंजाब |
4. मुख्य प्रबंधक पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड # 139, सेक्टर -1, अर्बन स्टेट अम्बाला सिटी |